

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1647 /2022.लखनऊ:दि0::नवम्बर, 01 ,2022

--:संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-1490/22 दिनांक 03.10.2022 द्वारा बरेली में दिनांक 21.11.2022 से 23.11.22 तक न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली एवं विभागीय सदस्य पीठ-मुरादाबाद की युगल पीठ गठित की गई थी।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली के पत्रांक-230/22 दिनांक 03.10.2022 द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिनांक 21.11.2022 को पारिवारिक विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए वह नोएडा जा रहे हैं जिस कारण वह आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे, इस हेतु बरेली में गठित युगल पीठ को दिनांक 22.11.2022 से 24.11.2022 तक संशोधित रूप से गठित किए जाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त पत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय के आदेशांक-1490/2022 दिनांक 03.10.2022 द्वारा परिचालित युगल पीठ कार्यक्रम में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है-

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
01	02	03	04	05	
1.	पीठ-बरेली	पीठ-बरेली	दिनांक 22.11.22 से 24.11.22 तक	पीठ-बरेली व पीठ-मुरादाबाद	न्यायिक विभागीय

शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

ह0/01.11.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 1647 /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली, पीठ-मुरादाबाद।
2. मुंसरिम/वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।